

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास एवं
पंचायती राज विभाग
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- | | | |
|--|---|--|
| 1- आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ०प्र० लखनऊ। | 2- निदेशक,
पंचायती राज
उ०प्र० लखनऊ। | 3- अपर आयुक्त (मनरेगा)
ग्राम्य विकास,
उ०प्र० लखनऊ। |
|--|---|--|

पंचायती राज अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 31 जनवरी, 2019

विषय:-ग्राम सभा के तालाबों में गंदा पानी व सीवर का पानी न जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया दिनांक 25.01.2019 को मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बड़े कड़े निर्देश दिये गये हैं कि सभी जनपदों के सभी ग्रामों में स्वच्छता होनी चाहिए। कहीं जल जमा नहीं होना चाहिए। ग्राम के भीतर स्थित तालाब में सीवर आदि का गन्दा पानी नहीं जाना चाहिए। हर ग्राम के बाहर ऐसा तालाब या सोक पिट न हो तो मनरेगा अथवा अन्य योजनाओं के माध्यम से निर्माण कराया जाए, जिसमें सॉलिड व लिक्विड वेस्ट और सीवर का जल जाए। हैण्डपम्पों के आसपास कहीं भी गन्दगी इकट्ठा न हो। सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाए कि सभी ग्रामों को स्वच्छ बनाये रखने के लिए सॉलिड तथा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेण्ट तथा नालियों व ग्राम की सफाई पूर्ण रूप से की जाए।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय

(अनुराग श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 5/2019/133/33-1-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1)- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०।
- (2)- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, पंचायती राज विभाग, उ०प्र०।
- (3)- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- (4)- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- (5)- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
- (6)- सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
- (7)- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- (8)- समस्त मण्डलीय, उपनिदेशक, पंचायत।
- (9)- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उ०प्र०।
- (10)- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी।

आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार)
सचिव।